

आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम 2023, अधिसूचना दिनांक-11 अप्रैल, 2023 के बिन्दु सं०-5 में विहित प्रावधानों एवं सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-D.O.No.F.1-13/2022(CPP-II) दिनांक-05.12.2023 तथा कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-ई 8488/31-जी.एस./2023 दिनांक-15.12.2023 के परिपालन में मा० कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक-15.12.2023 के क्रम में विश्वविद्यालय के अर्न्तगत छात्र शिकायत निवारण समिति (एस०जी०आर०सी०) का गठन तत्काल प्रभाव से निम्नवत किया जाता है-

1.	डा० प्रतिभा सिंह, कृषि अधिष्ठाता	अध्यक्ष
2.	डा० संजय पाठक, अधिष्ठाता, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	सदस्य
3.	डा० डी०के० सिंह, सह अधिष्ठाता, कृषि महा० आजमगढ़	सदस्य
4.	डा० चन्द्रशेखर, प्राध्यापक, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय	सदस्य
5.	डा० छविनाथ राम, प्राध्यापक, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	सदस्य
6.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा नामित सदस्य	विशेष आमंत्रित सदस्य

उक्त एस०जी०आर०सी० समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को छोड़कर तीन का होगा एवं शिकायतों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा। एस०जी०आर०सी० समिति अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ यदि कोई हो, सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के माध्यम से मा० कुलपति महोदय को प्रेषित करेगा एवं उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अन्दर भेजेगा।

छात्रों की शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।


(ए०के०सिंह)


निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

पत्रांक-ए.एन.डी.यू.ए.टी.-07/प्र०सहा०/समिति गठन/ 2023/1663

दिनांक-15 दिसम्बर, 2023

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी को उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-15.12.2023 के क्रम में।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
3. समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम 2023 की छायाप्रति के साथ।
4. डा० वी.एन.राय., सेवानिवृत्त प्राध्यापक/अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, 95 एम.आई. कौशलपुरी कालोनी, फेज-1, जिला-अयोध्या।
5. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष।
6. वित्त नियंत्रक।
7. कुलसचिव।
8. विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों के समस्त छात्र-छात्राओं को उनके अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष एवं वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड के माध्यम से सूचनार्थ।
9. विभागाध्यक्ष, कृषि सांख्यिकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. कुलपति के सचिव को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
11. सम्बन्धित पत्रावली/लेखा पटल/गार्ड फाइल।


(ए०के०सिंह)

निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण